न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 16/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

इस्लामुद्दीन पुत्र चॉद मोहम्मद (विक्रेता व मालिक), मै0 साहिल किराणा स्टोर सब्जी मण्डी, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर। निवासी– दीया शाह जी का तकिया, वार्ड नं0 6 पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

–:आदेश :– दिनांक :– 26.07.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.10.2017 को श्री राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै0 साहिल किराणा स्टोर सब्जी मण्डी, पीपाड शहर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) को एक लीटर x 4 कार्टन पैक वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 600/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं।

खरीदशुदा हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) के एक लीटर x 4 कार्टन पैक के लिए चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–677 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–677 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–677 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही

स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) के चारों कार्टन के चारों नमूनों में एडी–677 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल.एस./1139/एक्ट/2017/1140 दिनांक 29.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया।

अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने लिखित में कथन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) जांच वास्ते लिया गया। जिसका बिल मेरे पास नही है, यह तो किसी फेरी वाले से नादानी के कारण ले लिया था। आज के बाद ऐसे माल की खरीद नही करूगा। कृपया कर कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवं अप्रार्थी इस्लामुद्दीन को भी सुना। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी इस्लामुद्दीन, मै0 साहिल किराणा स्टोर सब्जी मण्डी, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर दिनांक 19.10.2017 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल (मिल्क बेस्ट) एक लीटर के 12 कार्टन विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 के अनुसार "Baudouin test Positive 0.5 red units in a 1 cm.cell on Lovibond scale" का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

पत्रावली पर एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1140 दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का दोषी हैं। अप्राथी पर शास्ती रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार की आरोपित की जाती हैं अप्राथी

इस्लामुद्दीन पुत्र चॉद मोहम्मद उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2018/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. इस्लामुद्दीन पुत्र चॉद मोहम्मद, मै0 साहिल किराणा स्टोर सब्जी मण्डी, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर। निवासी– दीया शाह जी का तकिया, वार्ड नं0 6 पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।